

कार्यालय ज्ञाप

राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) के प्रशिक्षण हेतु इस कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 1135/सात-भूलेख, दिनांक 08.09.2017 के द्वारा अन्तिम रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों में से निम्नलिखित अभ्यर्थी जो राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) के प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं हुए हैं, का अभ्यर्थन शासनादेश संख्या 1393/XVIII(1)/2017-03(3)/2014टी0सी0-I, दिनांक 27.10.2017 के प्रस्तर-2 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी हरिद्वार के आदेश दिनांक 18.12.2017 के द्वारा अन्तिम रूप से निरस्त किया गया है।

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम	अनुक्रमांक	लिंग	कुल प्राप्तांक	श्रेणी
01/01	मोनिका नौटियाल	12092166	म0	175.5	सामान्य/महिला
02/05	अमित कुमार शर्मा	12012386	पु0	167.5	सामान्य
03/08	बबीता कुमारी	12032362	म0	166	सामान्य/महिला
04/16	राजेश गैरौला	12112484	पु0	163.5	सामान्य
05/19	खुशबु नेगी	12072025	म0	163	सामान्य/महिला
06/22	नितिन कुमार	12102183	पु0	162.5	अन्य पिछडा वर्ग
07/28	रेणुका	12122290	म0	155.5	सामान्य/महिला
08/32	मीनाक्षी	12082209	म0	152	सामान्य/महिला
09/34	अमित कुमार	12012332	पु0	151	अनुसूचित जाति

अपर जिलाधिकारी (प्र0),
हरिद्वार।

कार्यालय जिलाधिकारी हरिद्वार

संख्या : 2064 / सात-भूलेख

दिनांक : 26 दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

02. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

03. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।

04. जिला सूचना विज्ञापन अधिकारी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश का वेबसाइट <http://haridwar.nic.in> पर अपलोड करने का कष्ट करें।

05. उपरोक्त अभ्यर्थीगण।

अपर जिलाधिकारी (प्र0),
हरिद्वार।

कार्यालय ज्ञाप

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या 1923/2016/एस0एस0 मोहित कुमार बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.12.2017 के अनुपालन में आरक्षित श्रेणी अन्य पिछड़ा वर्ग में निम्नांकित सूची के क्रमांक 01 पर अंकित श्री मोहित कुमार को एवं शासनादेश संख्या 1393/XVIII(1)/2017-03(3)/2014टी0सी0-I, दिनांक 27.10.2017 के अनुपालन में श्रेष्ठता के क्रम में निम्नांकित सूची के क्रमांक 02 से 09 तक के अभ्यर्थियों को जिलाधिकारी हरिद्वार के आदेश दिनांक 23.12.2017 के द्वारा राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) पद के प्रशिक्षण हेतु चयनित किया गया है।

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	अनुक्रमांक	जन्म तिथि	लिंग	कुल प्राप्तांक	श्रेणी
01	02	03	04	05	06	07	08
01	मोहित कुमार	सतीश कुमार	12092111	05.05.1993	पुरुष	160.50	अ0पि0व0
02	गुलशन कुमार	अमर सिंह	12052316	01.09.1992	पुरुष	162.25	अनारक्षित
03	सुनीत सिंह नेगी	दौलत सिंह नेगी	12142430	01.11.1983	पुरुष	161.50	अनारक्षित
04	प्रमिला राणा	अवतार सिंह राणा	12112044	16.06.1991	महिला	149.50	सामान्य
05	हिमानी मेहरा	मदन सिंह मेहरा	12062018	31.07.1992	महिला	149.25	सामान्य
06	योगिता थपलियाल	दिगम्बर प्रसाद थपलियाल	12152595	17.08.1982	महिला	148.75	सामान्य
07	सुलक्षणा नेगी	जगत सिंह नेगी	12142298	15.01.1982	महिला	147.50	सामान्य
08	रीता पाण्डेय	कृष्ण पाण्डेय	12122254	20.01.1986	महिला	147.00	सामान्य
09	निकिल कुमार	ब्रजमोहन	12102136	20.11.1988	पुरुष	144.50	अनु०जाति

उक्त चयनित अभ्यर्थियों को अपने समस्त मूल अभिलेखों का मिलान एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र दिनांक 10.01.2018 तक प्रत्येक दशा में कार्यालय जिलाधिकारी (भूलेख अनुभाग) हरिद्वार में प्रस्तुत कराना होगा। यदि किसी चयनित अभ्यर्थी के नाम/पिता का नाम व अनुक्रमांक अथवा कोई अन्य त्रुटि पाई जाती है तो वह उसके सम्बन्ध में अपना प्रत्यावेदन दिनांक 10.01.2018 तक कार्यालय जिलाधिकारी (भूलेख अनुभाग) हरिद्वार को लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन/दावे पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

उक्त चयनित अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित एक वर्षीय राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) पद का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही शासकीय सेवा में सेवायोजित किया जायेगा। उक्त चयनित सूची के क्रमांक 01 पर अंकित श्री मोहित कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के आदेश दिनांक 10.01.2017 के क्रम में राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) पद का प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है। शेष क्रमांक 02 से 09 तक के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में पृथक से सूचित किया जायेगा।

अपर जिलाधिकारी (प्र०),
हरिद्वार।

कार्यालय जिलाधिकारी हरिद्वार

संख्या : 2063 / सात-भूलेख

दिनांक : 26 दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
03. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
04. निदेशक, राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोडा।
05. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
06. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार।
07. जिला सूचना विज्ञाप अधिकारी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश का वेबसाइट <http://haridwar.nic.in> पर अपलोड करने का कष्ट करें।
08. उपरोक्त चयनित अभ्यर्थीगण।

अपर जिलाधिकारी (प्र०),
हरिद्वार।